FORM OF ORDER SHEET

IN THE COURT OF THE DIVISIONAL COMMISSIONER, KOSHI (SAHARSA).

[Service Appeal Case No.- 114 /2023]

Pavan Kumar...Appellant

Versus

The State of Bihar..Respondents.

Serial No.	Date of order of proceeding.	Order with signature of the court.	Office action taken with date
1	2	3	4
	30.10.2025	**आदेश** यह सेवा अपील वाद जिला दण्डाधिकारी -सह- समाहर्त्ता, मधेपुरा के आदेश ज्ञापांक-544-2/स्था0, दिनांक-19.7.2023 के विरूद्ध दायर किया गया है। वाद अंगीकृत कर सुनवाई की गई। LCR प्राप्त है। दिनांक-18.10.2025 को उभय पक्ष के Final Argument को सुना। तथा अभिलेख का अवलोकन किया। अपीलार्थी का अभिकथन वाद पत्र में अंकित है। अभिलेख के अवलोकन से यह स्थिति दृष्टिगत है कि जिला दण्डाधिकारी -सह- समाहर्त्ता, मधेपुरा के आदेश ज्ञापांक-544-2/गो0 दिनांक-19.7.2023 के द्वारा अपीलार्थी श्री पवन कुमार तत्कालीन राजस्व कर्मचारी, अंचल कार्यालय, मुरलीगंज सम्प्रति सेवानिवृत्त के विरूद्ध बिहार पेंशन नियमावली, 1950 के नियम-139 के तहत पूर्ण कालिक अवधि के लिए 10% पेंशन की कटौती का दण्ड अधिरोपित किया गया है। अपीलार्थी के वाद पत्र में अंकित है कि समाहर्त्ता, मधेपुरा का उक्त Impugned Order अपर समाहर्त्ता, मधेपुरा -सह- संचालन पदाधिकारी के एक पक्षीय प्रतिवेदन पर आधारित है। जिसमें अपीलार्थी के द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण का उचित एवं सही मूल्यांकन नहीं किया गया है। जिला दण्डाधिकारी -सह- समाहर्त्ता, मधेपुरा के अपीलाधीन आदेश ज्ञापांक-544-2/स्था0 दिनांक-19.7.2023 में यह अंकित है कि अपीलार्थी श्री पवन कुमार से कार्यालय ज्ञापांक-235-2/स्था0 दिनांक-10.4.2023 एवं स्मार पत्र ज्ञापांक-401-2/स्था0 दिनांक-29.5.2023 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा की गयी। श्री कुमार द्वारा दिनांक-31.5.2023 को द्वितीय कारणपृच्छा का जवाब समर्पित किया गया। संचालन पदाधिकारी -सह- अपर समाहर्त्ता, मधेपुरा से प्राप्त जांच प्रतिवेदन एवं आरोपी कर्मी द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा के जवाब के समीक्षोपरांत आदेश पारित किया गया है। उभय पक्ष के Final बहस को सुनने तथा अभिलेख/LCR में रक्षित कागजातों के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि जिला दण्डाधिकारी -सह- समाहर्त्ता, मधेपुरा के द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा के समीक्षोपरांत तथा अपीलार्थी के पक्ष को सुनकर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। अपीलाधीन आदेश तथा विभागीय कार्यवाही के जाँच प्रतिवेदन के अवलोकनोपरान्त अपीलार्थी श्री पवन कुमार के विरूद्ध आरोप साक्ष्यों के आधार पर प्रमाणित होता है। अपीलार्थी की ओर से सुनवाई में प्रमाणित आरोपों को Negate करने हेतु कोई Admissible Evidence उपस्थापित नहीं किया जा सका है। साक्ष्यों के आधार पर अपीलार्थी के विरूद्ध आरोप प्रमाणित पाया जाता है। अपील वाद की सुनवाई में अपीलार्थी की ओर से कोई नया तथ्य अथवा साक्ष्य उपस्थापित नहीं किया जा सका है। अनुशासनिक प्राधिकार (निम्न न्यायालय) के स्तर से प्रमाणित आरोपों के सापेक्ष संगत तथ्यों एवं साक्ष्यों की विवेचना करते हुए यथोचित Findings के आधार पर नियमानुसार एवं यथोचित दण्ड अधिरोपित किया गया है। जो विधिसम्मत है। अतः इस अपील वाद को खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति LCR के साथ संबंधित पदाधिकारी को भेजें। Pravye K. 30/10/2025. आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा। लेखापित एवं शुद्धित। Pravye K. 30/10/2025. आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा।	

आयुक्त न्यायालय कोशी प्रमंडल, सहरसा